राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गिर्राज बनाम विमला देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो |	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/04/2025 पारित करते हुये विवादित भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, हसील चौमू, जिला जयपुर में खाता संख्या 406 के आराजी खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2164 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2165 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2205 रकबा 2.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2210 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2213 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2215 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2216 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2232 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 4.5900 हैक्टेयर भूमि के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान प्रदान करते हुये तहसीलदार चौमू को पक्षकारान को सूचित करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियत 18 से 21 के अनुसार पालना करते हुये कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/04/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से कुर्रेजात तैयार करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये आदेश में कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गिर्राज बनाम विमला देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	702/2025	

अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से प्रकट किये गये उज्र के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/04/2025 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर